

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.03.2023 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.03.2023 को प्रातः 10:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो० प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो० ए.एस. रणदिवे	सदस्य
5.	प्रो० अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
6.	प्रो० एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
7.	प्रो० शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
8.	प्रो० सीमा राय	सदस्य
9.	प्रो० राजेन्द्र मेहता	सदस्य
10.	प्रो० सी.एस. वझलवार	सदस्य
11.	प्रो० ब्रजेश तिवारी	सदस्य
12.	प्रो० एम.के. सिंह	सदस्य
13.	डॉ० बुद्धेश्वर प्रसाद सिंगरौल	सदस्य
14.	डॉ० बी.आर. रावटे	सदस्य
15.	डॉ० पायल बनर्जी	सदस्य
16.	प्रो० मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

1. प्रो० एस.सी. तिवारी

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर विश्वविद्यालय के विकास में भागीदार बनने प्रेरित किया तथा विश्वविद्यालय के आगामी योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी दी। तदोपरान्त निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र.01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.03.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.03.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।


विषय क्र. 02 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.03.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.03.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की।

विषय क्र. 03 बेसिक साईंस एवं ह्यूमेनिटीस में नियुक्त शिक्षकों के कैरियर एडवांसमेंट हेतु प्रभावी नियमों के संबंध में विचार।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रभावित शिक्षकों का कैरियर एडवांसमेंट 2019 के पूर्व एआईसीटीई के प्रावधानों के अंतर्गत तथा 2019 के बाद एआईसीटीई द्वारा जारी प्रावधान के अनुसार बेसिक साईंस एवं ह्यूमेनिटीस में नियुक्त शिक्षकों के कैरियर एडवांसमेंट यूजीसी के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाय।


15/03/2023


15/03/23

विषय क्र. 04 विश्वविद्यालय में संचालित कार्यक्रमों में विदेशी विद्यार्थियों के प्रवेश के लिये प्रस्तावित प्रवेश विवरणिका, शुल्क संरचना एवं आवेदन पत्र प्रारूप पर विचार।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में संचालित कार्यक्रमों में विदेशी विद्यार्थियों के प्रवेश के लिये प्रस्तावित प्रवेश विवरणिका, शुल्क संरचना एवं आवेदन पत्र प्रारूप का अनुमोदन बैठक के दौरान सुझाये गये संशोधनों के साथ किया जाय।

विषय क्र. 05 विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में सत्र 2020-21 से संचालित ACE (Ability Enhancement Course) एवं SEC (Skill Enhancement Course) को Value Added Course के रूप में मान्य करने के संबंध में विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय तथा इसे AEC/Value Added या SEC/Value Added, के रूप में अंकित किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र.1 स्थायी समिति के समक्ष गुरु घासीदास विश्वविद्यालय एवं डॉ० हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के मध्य किये जाने वाले समझौता ज्ञापन प्रारूप समिति द्वारा अनुशंसित प्रारूप एवं प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।


विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और डॉ० हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का समिति द्वारा अनुशंसित प्रारूप अनुमोदन किया जाय।


अ.अ.वि.क्र.2 स्थायी समिति के समक्ष गुरु घासीदास विश्वविद्यालय एवं TFRI, Jabalpur के मध्य किये जाने वाले समझौता ज्ञापन प्रारूप समिति द्वारा अनुशंसित प्रारूप एवं प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और TFRI, Jabalpur के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का समिति द्वारा अनुशंसित प्रारूप अनुमोदन किया जाय।

अ.अ.वि.क्र.3 स्थायी समिति के समक्ष विश्वविद्यालय परिसर के दो भवनों को शोध छात्राओं के लिए छात्रावास बनाये जाने संबंधी प्रस्ताव मुख्य छात्रावास अधीक्षक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय लिया गया कि मुख्य छात्रावास अधीक्षक से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय। साथ ही साथ निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

1. नवीन आवासीय परिसर में स्थित उक्त दो बंगले, जिन्हें डीन एवं एम.एस. बंगला कहा जाता है, का नाम अब बालिका शोध छात्रावास क्रमांक-1 तथा बालिका शोध छात्रावास क्रमांक-2 होगा।
2. उक्त दोनों छात्रावासों में एक कमरे में रहने वाले शोधार्थियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जिसका निर्धारण संबंधित छात्रावास अधीक्षक एवं मुख्य छात्रावास अधीक्षक करेंगे।


15/03/2023


15/03/2023

3. मुख्य छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षक के समन्वय से उक्त दोनों छात्रावासों की सीटों का निर्धारण करते हुए सीट मैट्रिक्स (आरक्षण रोस्टर सहित) तैयार करेंगे एवं विभागों को सीट आबंटित करेंगे।
4. उक्त दोनों छात्रावासों में एक कमरे में दो शोधार्थी रहने पर प्रत्येक शोधार्थी से रूपये 2,000/- शुल्क प्रतिमाह, तीन शोधार्थी रहने पर रूपये 1,500/- शुल्क प्रतिमाह लिया जायेगा। उक्त भवनों के हॉल में रहने वाले शोधार्थियों से रूपये 1,500/- शुल्क प्रतिमाह लिया जायेगा।

अ.अ.वि.क्र.4 विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु प्रारूपित प्रवेश विवरणिका का प्रदर्शन किया गया।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रदर्शित विवरणिका वेब पटल पर जारी किया जाय।

अ.अ.वि.क्र.5 स्थायी समिति के समक्ष विभिन्न शैक्षणिक विभागों में प्रथम सेमेस्टर की अंतिम शिक्षण दिवस को 01 सप्ताह बढ़ाये हेतु प्रस्ताव लाया गया।

स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों के प्रथम सेमेस्टर कार्यक्रम हेतु जारी अकादमिक कैलेंडर 2022-23 में आंशिक संशोधन किया जाय तथा शैक्षणिक कक्षाओं को जारी रखने की अंतिम तिथि को 15.03.2023 के स्थान पर 24.03.2023 तक आगे बढ़ा दिया जाय।

अ.अ.वि.क्र.6 विश्वविद्यालय के शोध कार्यक्रमों में विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाना है, अतः विदेशी आवेदकों को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए केवल विदेशी विद्यार्थियों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि में वृद्धि किया जाय।


स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि विदेशी आवेदकों के लिये आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30.04.2023 तक बढ़ाया जाय एवं शोध कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु साक्षात्कार की प्रक्रिया दिनांक 10.05.2023 से 15.05.2023 तक सम्पन्न की जाय।

अ.अ.वि.क्र.7 स्थायी समिति के समक्ष विश्वविद्यालय परिसर के भवनों के मेंटेनेंस हेतु जारी कार्यादेश एवं व्यय संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई तथा अद्यतन कृत कार्यवाही से अवगत कराया।

स्थायी समिति ने प्रस्तुत जानकारी ग्रहण करते हुए यह निर्णय लिया कि कृत कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।


कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव


कुलपति/अध्यक्ष